संख्या- 4 /1047 /43-1-2014-7(4)2013

प्रेषक

एस0एन0 शुक्ल,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
उ0प्र0 राज्य सूचना आयोग,
उ0प्र0 लखनऊ।

प्रशासनिक सुधार अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक 7 अगस्त, 2014

विषय: अनुदान संख्या-46 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-2015 के बजट में प्राविधानित के समक्ष वित्तीय स्वीकृतियॉं जारी करने (लेखानुदान द्वारा स्वीकृति धनराशि को घटाते हुए) तथा प्रावधानित धनराशि को सचिव, उ0प्र0 राज्य सूचना आयोग, उ0प्र0 लखनऊ के निर्वतन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-446/43-1-2014-7(4)2014, दिनांक 22 अप्रैल, 2014 जिसके द्वारा लेखानुदान के माध्यम से प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष 4/12वॉं भाग अर्थात रू0 2,66,50,000/- की धनराशि अवमुक्त की गयी थी, के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2014-2015 के अनुदान संख्या-46 के लेखाशीर्षक-2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-03-उत्तर प्रदेश सूचना आयोग का गठन के विभिन्न मानक मदों में पुनरीक्षित प्राविधानित धनराशि रू0 7,99,50,000/- (रूपये सात करोड़ निन्यानबे लाख पचास हजार मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 5,33,00,000/- संलग्न विवरण के अनुसार आपके निर्वतन पर रखे जाने की स्वीकृति निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

1- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय केवल स्वीकृत चालू योजनाओं/मदों पर ही किया जाय और किसी भी दशा में धनराशि का उपयोग नई सेवाओं और मदों पर न किया जाय।

- - - - 2/-

http://shasanadesh.up.nic.in

2- यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त धनराशि का आवंटन एलॉटमेंट मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/ केन्द्र सरकार तथा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हों, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष कोषागारों में भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले बिलों में सही लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड सहित) के साथ-साथ संबंधित अनुदान संख्या का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये।

4- विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जनू, 1994 एवं दिनांक 24-10-2013 द्वारा निर्गत निर्देशें का कडाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5- व्यय प्रबन्ध एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-सी0ए0-1191/दस-2009-मित0-1/2007, दिनांक 26 अक्टूबर, 2009 का विशेष रूप से पालन किया जाये तथा राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैन्र्डस फाइनेंशियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

6- स्वीकृत धनराशि का उपयोग संलग्नक में दर्शायी गयी मदों में ही किया जायेगा, किसी भी दशा में धनराशि का डइवरजन बिना शासन की पूर्व अनुमति के कदापि न किया जाय तथा किसी मद में कोई धनराशि अवशेष बचती है, तो उसे चालू वित्तीय वर्ष में समयान्तर्गत शासन को समर्पित कर दी जाय।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 की अनुदान संख्या-46 के लेखाशीर्षक-2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-03-उत्तर प्रदेश सूचना आयोग का गठन के अन्तर्गत संलग्नक में उल्लिखित सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अंतर्गत जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

एस0एन0 शुक्ल
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हक0) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
5- वित्त एवं लेखाधिकारी, राज्य सूचना आयोग, उ0प्र0 लखनऊ।
6- लेखाकार, राज्य सूचना आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9
9- अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

लुटावन राम
अनुसचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या- 1047/43-1-2014-7(4)2013,दिनांक 7 अगस्त, 2014 का संलग्नक

(धनराशि हजार रू0 में)

मानक मद संख्या	वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु कुल प्राविधानित धनराशि	वित्तीय वर्ष 2014-15 में लेखानुदान से पारित/अवमुक्त धनराशि	वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4
01-वेतन	29700	9900	19800
02-मजदूरी	3000	1000	2000
03-महँगाई भत्ता	31185	10395	20790
04-यात्रा व्यय	250	83	167
06-अन्य भत्ते	3564	1188	2376
07-मानदेय	50	16	34
08-कार्यालय व्यय	5000	1667	3333
09-विद्युत देय	300	100	200
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	450	150	300
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	800	267	533
13-टेलीफोन पर व्यय	600	200	400
15-गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	2200	733	1467
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	700	233	467
17-किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व	1	1	--
18- प्रकाशन	50	17	33
19-विज्ञापन,बिक्री और विख्यापन व्यय	200	67	133
22-आतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता आदि	100	33	67
44-प्रशिक्षण हेतु यात्राएवं अन्य प्रासंगिक व्यय	100	33	67
45-अवकाश यात्रा व्यय	200	67	133

http://shasanadesh.up.nic.in

46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफटवेयर का क्रय	400	133	267
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	600	200	400
49-चिकित्सा व्यय	500	167	333
योग-	**79950**	**26650**	**53300**

(रू0 पाँच करोड तैंतीस लाख मात्र)

लुटावन राम
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in